न्यायालय मे श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर महोदय, ग्वालियर म0प्र0

राज0 अपील प्र0 क0 II/निगरानी/उमरिया/भू० रा/2018/0456

1. रामनरेश आत्मज स्व0 मुनेश्वर प्रसाद ब्रा0 साकिन खलेसर,
2. श्रीमती शशिकला बेवा स्व0 भैयालाल ब्रा0 साकिन खलेसर,
3. प्रदीप कुमार आत्मज भुवन प्रकाश उर्फ भैयालाल ब्रा0 साकिन खलेसर,
4. आलोक आत्मज भुवन प्रकाश उर्फ भैयालाल ब्रा0 निवासी खलेसर,
5. रामजी आत्मज भुवन प्रकाश उर्फ भैयालाल ब्रा0 निवासी खलेसर,
6. श्यामजी आत्मज भुवन प्रकाश उर्फ भैयालाल ब्रा0 निवासी खलेसर,
7. रवि आत्मज भुवन प्रकाश उर्फ भैयालाल ब्रा0 निवासी खलेसर,
8. विकाश आत्मज भुवन प्रकाश उर्फ भैयालाल ब्रा0 निवासी खलेसर, तहसील बांधवगढ़, थाना व जिला उमरिया म0प्र0 ....निगरानीकर्तागण,

बनाम

1. राममनी पिता रामस्वारथ ब्रा0 साकिन पथरहटा (मृत)

1A. मुस0 देववती बेवा स्व0 रामधनी ब्रा0 साकिन पथरहटा,

2 मुस0 सावित्री उर्फ छित्रीबाई पुत्री जागेश्वर प्रसाद (मृत)

2A. श्रीमती विमला बाई आयु 60 वर्ष पिता स्व0 जौहरी प्रसाद,

2B. वीरेन्द्र दुबे आयु 58 वर्ष, पिता स्व0 जौहरी प्रसाद,

2C. धीरेन्द्र दुबे आयु 50 वर्ष पिता स्व0 जौहरी प्रसाद तीनों निवासी वेंकट नगर पो0 वेंकटनगर, थाना जैतहरी एवं चौंकी वेंकट नगर जिला अनूपपुर (म0प्र0)

3. विष्णु प्रसाद आत्मज रामस्वारथ ब्राम्हण साकिन पथरहटा,
4. गुरूदेव आत्मज शिवबालक राम ब्राम्हण साकिन खलेसर,
5. उमाशंकर आत्मज केशव प्रसाद ब्राम्हण साकिन खलेसर,
6. मुस0 मुक्ता पत्नी कृपाशंकर ब्राम्हण साकिन खलेसर,

क्रमशः //2//

2

7. विवेक आत्मज कृपाशंकर ब्राम्हण साकिन खलेसर,

8. गौरव आत्मज कृपाशंकर ब्राम्हण साकिन खलेसर,

9. रामदेव आत्मज गायत्री प्रसाद ब्राम्हण साकिन खलेसर,

10. मुस0 रामबाई बेवा रामगोपाल ब्राम्हण साकिन खलेसर,

11. रमेश आत्मज रामगोपाल ब्राम्हण साकिन खलेसर,

12. प्रमोद आत्मज रामगोपाल ब्राम्हण साकिन खलेसर,

13. सुरेश आत्मज गायत्री प्रसाद ब्राम्हण साकिन खलेसर, तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया म0प्र0 ....रेस्पाडेण्टगण,

निगरानी विरूद्ध निर्णय एवं आदेश श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय बांधवगढ़ जिला उमरिया म0प्र0 के राजस्व प्रकरण कमांक 15/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक - 23/11/2017 जिसके तहत अपील स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप से गैरकानूनी आदेश किया है अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959,

मान्यवर,

निगरानीकर्तागण निम्न विनय करते हैं कि :-

संक्षिप्त तथ्य

यह कि ग्राम खलेसर स्थित आ0ख0नं0 266 रकवा 0.29 एकड़, आ0ख0नं0 408 रकवा 0.47 एकड़, आ0ख0नं0 213/673 रकवा 0.09 एकड़ अन्य आरजियात के साथ निगरानीकर्तागण की पैतृक भूमियॉ हैं, जो कि निगरानीकर्ता कमांक 01 के पिता स्व0 मुनेश्वर राम के पिता टीणूराम के पिता विक्रमादित्य से निगरानीकर्तागण को प्राप्त है। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद रीवा राज्य शासन काल मे सन् 1953-54 मे संधारित खतौनी में छोटाराम, शिवबालकराम, चन्नूराम वगैरह के नाम भूमि के मालिक स्वामी थे, जिससे आपसी भाई बांट से निगरानीकर्तागण को प्राप्त होने से मकान, बाड़ी बनाकर काबिज चले आ रहे हैं । छोटाराम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रामस्वारथ एवं जागेश्वर प्रसाद ब्राम्हण साकिन खलेसर की उक्त भूमियॉ निगरानीकर्तागण के पूर्व मुनेश्वर प्रसाद एवं रेस्पाडेण्ट कमांक 05 से 13 के पूर्वज शिवबालकराम एवं गायत्री

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 3

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/उमरिया/भू.रा./2018/0456 रामनरेश विरूद्ध राममनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 15/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 23-11-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 15-01-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर उमरिया के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर उमरिया को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर उमरिया के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर उमरिया के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

15/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य